पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2063
दिनांक-12.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- **थाना निगोहाँ पुलिस टीम द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा, संयुक्त पुलिस आयुक्त(अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष निगोहाँ श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02- संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.11.2026 को थाना निगोहां पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा अपराध की रोकथाम हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त जमुना प्रसाद रावत पुत्र स्व0 राम रावत निवासी ग्राम व थाना निगोहां, जनपद लखनऊ को चेक किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना निगोहाँ पर मु0अ0सं0-162/2026,धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. जमुना प्रसाद रावत पुत्र स्व0 राम रावत निवासी ग्राम व थाना निगोहां, जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष।

04-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-137/2020,धारा-60 आबकारी अधि0 थाना निगोहाँ जनपद जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-490/2020,धारा-60 आबकारी अधि0 थाना निगोहाँ जनपद जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-165/2025,धारा-60 आबकारी अधि0 थाना निगोहाँ जनपद जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-121/2026,धारा-60 आबकारी अधि0 थाना निगोहाँ जनपद जनपद लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-162/2026 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना निगोहां जनपद लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण:-

1. एक प्लास्टिक की पिपिया में लगभग 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना निगोहां पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 2066
दिनांक- 13.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा आभूषण चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मन वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बिजनौर श्री कपिल गौतम के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा आभूषण की चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02- संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.10.2026 को वादी श्री अनूप पटेल पुत्र गोविन्द सिंह निवासी रायल सिटी थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा मुकदमा वादी के घर से कुछ जेवरात व कुछ नगदी चोरी कर लेने सम्बन्धी मु0अ0सं0 299/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा दिनांक 12.11.2026 को वादी श्री राहुल यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ग्राम न्यू गुडौरा मानसरोवर थाना बिजनौर लखनऊ की तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्त अभिषेक नाटिया पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम छुहाराखेड़ा थाना बिजनौर लखनऊ द्वारा वादी मुकदमा के घर के अंदर से आभूषणों व नकदी की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 320/2026 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीमें गठित की गयी। गठित पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटैज एवं अन्य टैक्निकल/मैनुअल तथा स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक 13.11.2026 को अभियुक्त अभिषेक रावत उर्फ नाटिया को उपरोक्त दोनो मुकदमें से सम्बन्धित चुराये गये माल की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03- पूछताछ अभियुक्त:-

पूछताछ में अभियुक्त अभिषेक नाटिया ने बताया कि साहब, मैं बन्द मकानो की रेकी कर उन्हे चिन्हित करता था और सही समय देखकर मौका मिलते ही चोरी की घटना को अंजाम देता था। इसी क्रम में मैने कुछ दिन पहले रायल सिटी बिजनौर रोड लखनऊ में शिव मन्दिर के पास पटेल के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी किया था तथा अपने ही गाँव छुआराखेड़ा न्यू गुडौरा के रहने वाले राहुल यादव के बंद पड़े मकान में भी चोरी किया था चोरी किये गये कुछ माल को औने-पौने दामों में राह चलते लोगो को बेच कर प्राप्त पैसो को अपनी जरुरतो को पुरा करने के लिए खर्च कर दिया तथा शेष बचे माल को बेचने की फिराक में था कि आप लोगो के द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। साहब, मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभिषेक रावत उर्फ नाटिया पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम छुआराखेडा न्यू गुडौरा थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र- 22 वर्ष।

05- अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 299/2026 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 320/2026 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।

06- आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0064/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0273/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0084/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ।

07- बरामदगी विवरणः-

- 02 जोडी पायल सफेद धातु। (सम्बन्धित मु0अ0सं0299/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर, लखनऊ)
- 02 अदद सिक्के सफेद धातु। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 320/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर, लखनऊ)
- 04 अदद बिछिया नगदार। (सम्बन्धित मु0अ0सं0 320/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ)

08- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना बिजनौर पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2068
दिनांक-13.11.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव की पुलिस टीम नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **अपहृता सकुशल बरामद ।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 31.10.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा बावत वादिनी कि पुत्री उम्र करीब 21 वर्ष को प्रतिवादी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के संबन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 523/26 धारा 187(2)/87 बीएनएस बनाम 1. अमिर पुत्र माजिद 02. आशिफ व फाजिल के घर वाले के विरुद्ध के पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 13.11.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं विवेचनात्मक कार्यवाही में शंकरपुर ढाल पर मौजूद थी कि जरिए मुखविरखास सूचना की सूचना पर मडियांव पुल के नीचे से एक व्यक्ति एवं लड़की के पास पहुँचकर म0का0 द्वारा लडकी का नाम पता पूछा गया तो वह नाबालिग उम्र करीब 15 पाया गया। एवं पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम आमिर अली पुत्र माजिद अली नि0 ग्राम अल्लूनगर डिगुरिया थाना मडियांव लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष बताया।

बरामद अपहृता/पीडिता को म0का0 दिव्या शुक्ला द्वारा अपने सरंक्षण में लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म धारा से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। पकड़े गये अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

03. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय-

1. आमिर अली पुत्र माजिद अली नि0 ग्राम अल्लूनगर डिगुरिया थाना मडियांव जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष (व्यवसाय – बिजली पंखे का काम)

04.बरामदगी का विवरण:-

- मुकदमा उक्त की अपहृता/पीडिता की सकुशल बरामदगी

05. अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक राव
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार साहू
3. म0का0 दिव्या शुक्ला
4. का0 मयंक कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2065
दिनांक-13.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

थाना बन्थरा पुलिस टीम द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किए गए अभियुक्त को प्रतिबंधित अवधि के दौरान जनपद लखनऊ की सीमा में पाए जाने पर किया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मन वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बन्थरा श्री राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किए गए अभियुक्त को प्रतिबंधित अवधि के दौरान जनपद लखनऊ की सीमा में पाए जाने पर किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.09.2026 को संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ महोदय के आदेश के अनुपालन में वाद संख्या- 107(25)/2026 धारा-03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 सरकार बनाम आदित्य द्विवेदी पुत्र कृष्ण कुमार द्विवेदी निवासी कस्बा बंथरा निकट हनुमान मंदिर थाना बन्थरा लखनऊ को दिनांक 16.09.2026 को लखनऊ की सीमाओं से 06 माह के लिये निष्कासित किया गया था।

दिनांक 12.11.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त / जिलाबदर आदित्य द्विवेदी उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार द्विवेदी निवासी कस्बा बंथरा निकट हनुमान मंदिर थाना बन्थरा लखनऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ महोदय के आदेश के अनुपालन में वाद संख्या 107(25)/2026 धारा-03 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 सरकार बनाम आदित्य द्विवेदी उपरोक्त द्वारा लखनऊ सीमाओं से निष्कासित अवधि में लखनऊ सीमा में आने का अपराध कारित किया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. आदित्य द्विवेदी उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार द्विवेदी निवासी कस्बा बंथरा निकट हनुमान मंदिर थाना बन्थरा लखनऊ।

04-आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 79/2025 धारा धारा 75(2) बीएनएस व 9/10/11(i)/12 पाक्सो एक्ट थाना बन्थरा, कमिश्नरेट लखनऊ
2. मु0अ0सं0 540/2023 धारा 392/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 537/2023 धारा 392/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 304/2018 धारा 452/354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना निगोहा लखनऊ।
5. मु0अ0सं0 393/2026 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बन्थरा कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना बन्थरा पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।